

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

हरनेक सिंह बनाम हरदम सिंह आदि
 अन्तर्गत धारा 53,188,92ए आरटीए नम्बर 04 सन् 2020

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

17.01.20
 वादी हरनेक सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना खूर्द तहसील श्री करणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188,92ए आरटीए पेश किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मान तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक..... 26/02/20 को पेश हो।

Sir जाति
 ① 26/02/20
 जाति HN
 10/6
 17-1-2020

(मूलचन्द लूणिया)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर

26/2 वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी शेरव्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2,3,5 की तलवी ग्रह पर होकर प्राप्त जो शापल के साथ रहता बताया गया प्रतिवादी सं. 4 की तलवी स्वयं पर होकर प्राप्त। श्री मात्र 10 महोदय अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 23/03/2020 को पेश हो Kim

3
 19/20 वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्राथम पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्राथम पत्र में निवेदन किया कि प्राथी का घर पंचायत ने राजीनामा करवा दिया है। इसलिए प्राथी उक्त अनवान प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता। पत्रावली आज की पेशी में ली जाकर दारिद्र्य दफ्तर की जावे। वादी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र नोटप्रेस करने पर दावा इसी स्तर पर स्थगित किया जाता है। पत्रावली निगति होकर नंबर से कम हो

Not Recd
 [Signature]



(मूलचन्द लूणिया)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर